तारीख हुक्म	भगवानसहाय बनाम गणपत हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	मु. नं. 9 दावा 7/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी गण नं. 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21 की ओर से प्रा. पत्र आपत्ति कुर्रेजात का जवाब नहीं देकर सीधे बहस की गयी एवं कुर्रेजात स्वीकार हेतु सहमति दी गयी इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। हमने प्रा. पत्र आपत्ति कुर्रेजात पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक 30/07/2025 पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)		
	30/07/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पर उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र, कुर्रेजात एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से 2 बार कुर्रेजात प्राप्त हो चुके हैं। आपत्ति कुर्रेजात प्रा. पत्र का उद्देश्य प्रकरण में अनावश्यक विलंब किया जाना प्रतीत होता है। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी भगवानसहाय द्वारा एवं प्रतिवादी महेश कुमार शर्मा द्वारा जरिये वकील श्री हंसराज जांगिड़ के द्वारा प्रस्तुत पृथक-पृथक आपत्ति कुर्रेजात प्रा. पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। कुर्रेजात एवं मूल दावे पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। अतः तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 4051 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा प्राप्त कुर्रेजात, पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर एवं वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने के उपरांत वादीगण वाद दावा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। कुर्रेजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 30/7/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)		

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 97 / 2023

प्रकरण निर्णय दिनांक 30.07.2025

उनवान

1. भगवानसहाय पुत्र छोटेलाल
2. प्रहलाद कुमार पुत्र बिदडा

जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अरनियां तह. बांदीकुई

बनाम

1. गणपत पुत्र जगन्नाथ
2. अन्तर पत्नि रामेश्वर
3. गीता पुत्री चिरंजीलाल
4. धापा पत्नि बिदडा
5. नवलकिशोर पुत्र चिरंजीलाल
6. प्रभाती पुत्र जगन्नाथ
7. प्रेमदेवी पुत्री बिदडा
8. प्रहलाद कुमार पुत्र बिदडा
9. बनवारी पुत्र चिरंजीलाल
10. रेवड पुत्र महादेवा
11. भगोती पुत्री बिदडा
12. मथुरेश बिहारी पुत्र देवनारायण
13. मुरारी पुत्र चिरंजीलाल
14. महेश कुमार पुत्र बिदडा
15. रेवडमल पुत्र महादेवा
16. रामकरण पुत्र जगन्नाथ
17. संतोष पुत्र चिरंजीलाल
18. सुरेश चंद पुत्र बिदडा
19. सरोज पुत्री महादेवा
20. सावत्री पुत्री चिरंजीलाल
21. हरिमोहन पुत्र चिरंजीलाल
22. गिर्राज पुत्र श्योनाथ
23. उपपंजीयक एवं पंजीयन अधिकारी बांदीकुई
24. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई

जाति समस्त ब्राहमण निवासी अरनियां तहसील बांदीकुई जिला दौसा

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इबादत

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 30.07.2025

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये वकील श्री सम्पतरामजांगिड के इस आशय से पेश किया है कि ग्राम अरनियां पटवार हल्का अरनियां तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 369 पुराना 367 के खसरा नंबर 3534 लगायत 3543, 3549 लगायत 3553 कुल किता 15 कुल रकबा 5.0600 हैक्टेयर स्थित है। भूमि मुतदाविया उपरोक्त वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 22 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है जिसका पक्षकारान के मध्य अभी तक सरस नरस तकास्मा नहीं हुआ है और मन समाई से पक्षकारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु अब पक्षकारान के मध्य अपने अपने हिस्से की बाबत फसल बुवाई करते समय व फसल काटते समय सीमा को लेकर विवाद व झगडा होता रहता है ऐसी सूरत में भूमि मुतदाविया का पक्षकारान के मध्य कब्जे के अनुसार व हिस्से अनुसार रास्ते को कायम रखते हुये सरस नरस तकास्मा करवाना आवश्यक हुआ है जिस हेतु दावा तकास्मा पेश करना आवश्यक हुआ है। अब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 22 के मन में बदयान्ति आ गयी हैं और वे वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि को स्वयं की भूमि में मिलाकर नाजायज रूप से वादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने व भूमि मुतदाविया का बिना सरस नरस तकास्मा हुये ही उसमे नव निर्माण करने तथा किसी दीगर सख्स को रहन करने व वादीगण के हिस्से की भूमि में अवरोध पैदा करने पर आमादा हो रहे है जिसका कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और शामलाती भूमि का बिना सरस नरस तकास्मा हुये किसी भी सख्स को रहन बेचान नहीं किया जा सकता है और ना ही निर्माण किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक खातेदार का हिस्सा होता है। दिनांक 05.07.2023 को वादीगण जब अपने हिस्से की भूमि में कृषि कार्य कर रहे थे तो समस्त प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 22 भूमि मुतदाविया पर आ गये और वादीगण की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने लग गये तो वादीगण ने कहा कि यह भूमि तो हमारे हिस्से की भूमि है इसमें हम काश्त करेंगे तब प्रतिवादीगण ने कहा कि हम वादीगण को उसके हिस्से की भूमि में न तो काश्त करने देगें और भूमि मुतदाविया को दीगर सख्स को रहन बय हस्तान्तरित करके रहेंगे तो वादीगण ने कहा कि भूमि मुतदाविया का सरस नरस तकास्मा करवा लो ताकि हमेशा का झगडा समाप्त हो जावें तो प्रतिवादीगण ने भूमि मुतदाविया का सरस नरस तकास्मा करने से भी कतई इंकार कर दिया और एलानिया कहा कि हम तो भूमि मुतदाविया का बिना तकास्मा हुये ही उसमे नव निर्माण करके रहेगें और किसी दीगर सख्स को रहन बय व हस्तांतरित भी रक देगें व वादीगण को भूमि मुतदाविया में काश्त नहीं करने देगें अवरोध पैदा करके रहेगें व वादीगण के कब्जे की भूमि में मजाहमत पैदा करेंगे। ऐसी सूरत में प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 22 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

जावें कि वे भूमि मुतदाविया का जब तक पक्षकारान के मध्य सरस नरस तकास्मा ना हो जावे जब तक भूमि मुतदाविया को किसी भी दीगर सख्स को रहन बय व हस्तान्तरित नहीं करें और ना ही कोई नव निर्माण कार्य करें और रास्ते में निकलने में कोई अवरोध पैदा नहीं करे व वादीगण को उसके हिस्से की भूमि में काबिज होकर मुस्तफीद होने देवे व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे अतः दावा हुक्म इम्तनाई दवामी पेश करना आवश्यक हुआ है यदि प्रतिवादीगण को शीघ्र ही जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद नहीं किया गया तो वे अवश्य ही वादीगण को उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की व हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देगें जिससे वादीगण अपने जायज हक हकूको की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जावेंगे व वादीगण को अपूर्तिनिय क्षति कारित होगी व मुकदमों का बाहुल्य हो जावेगा व पक्षकारान के मध्य बिला वजह बेलौस मुकदमे बाजी छिड जावेगी जो बाय से बर्बादी वादीगण होगी। यह है कि बिनाय यौम दावा व बिनाय मुखास्मत वादीगण को दिनांक 05.07.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि मुतदाविया का सरस नरस तकास्मा करने से इंकारी करने से व वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल कर रहन बय हस्तांतरित करने की एलानियां धमकी देने से अंदर हदूद अदालत पैदा हुयी है अतः दावा अंदर मियाद पेश है अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावें कि भूमि मुतदाविया खतौनी संख्या नया 369 पुराना 367 के खसरा नंबर 3534 लगायत 3543, 3549 लगायत 3553 कुल किता 15 कुल रकबा 5.0600 हैक्टेयर वाके रामा अरनियां का पक्षकारान के मध्य उनके कब्जे अनुसार व उनके हिस्से अनुसार सरस नरस तकास्मा रास्ते को कायम रखते हुये किया जाकर अलग अलग खाते खतौनी अलग अलग जमाबंदी व अलग अलग पास बुक बनायी जाकर लगान का व पेड पौधों का उनके हिस्से अनुसार अलग अलग सरस नरस तकास्मा किया जाकर पक्षकारान को उनके हिस्से व कब्जे की भूमि पर कब्जा संभलाया जावें तथा तकास्मा रास्ते को कायम रखते हुये पक्षकारान के मध्य किया जावें।प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 22 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावें कि वे भूमि मुतदाविया मुन्दर्जे जिम्मन नंबर एक वाद पत्र में जब तक भूमि का पक्षकारान के मध्य सरस नरस के हिसाब से तकास्मा नहीं हो जाता है भूमि मुतदाविया को किसी भी दीगर सख्स को किसी भी तरीके से रहन से हस्तांतरित नहीं करे तथा भूमि मुतदाविया में किसी भी प्रकार का नवनिर्माण नहीं करे तथा रास्ते को कायम रखते हुये तकास्मा किया जावें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी पैदा ना करें व मौके व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे तथा वादीगण को शांतिपूर्वक काबिज होकर मुस्तफीद होने देवे व प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 22 द्वारा करवाये गये ऐसे किसी भी रहन बय हस्तांतरण के दस्तावेज को पंजीकृत न करें व इस अमर से बाज मुमतनाह रहें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21 की ओर से एड. श्री गिर्राज प्रसाद सैन एवं प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 11, 14, 15, 18 एवं 22 की ओर से

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

एड. श्री हंसराज जांगिड उपस्थित आये । प्रतिवादीगण संख्या 02 व 19 बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 02, 19, 23, 24 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण नंबर 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21 की ओर से पेश किया कि वाद पत्र का जिम्मन नंबर 1, 2 स्वीकार है जिम्मन नंबर 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत तहरीर किया गया है कभी भी प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति नहीं आयी है और ना ही रहन बय करने के लिये तैयार है और ना ही प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण नहीं कर रहे है प्रतिवादीगण अपने कब्जे चले आ रहे है एवं कब्जे के अनुसार एवं हिस्से के अनुसार सरस नरस तरीके से तकास्मा करवाने के लिये तैयार है। वाद पत्र का पैरा नंबर 4 जिस तरह से तहरीर किया गया है जो गलत तहरीर किया गया है। सभी तथ्य बनावटी एवं मनगढन्त तरीके से तहरीर करवाये गये है जो कि गलत है। प्रतिवादीगण न कभी भी वादीगण को फसल करने से नहीं रोका और ना ही वादीगण के हिस्से में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई मजाहमत पैदा नहीं की। और ना ही वादीगण के हिस्से की भूमि को अपने हिस्से की भूमि में कभी भी नहीं मिलायी। और कभी भी वादीगण को उनके हिस्से की भूमि में फसल करने से नहीं रोका। और ना ही कभी भी प्रतिवादीगण ने झगडा किया और ना ही दीगर सख्स को बेचान करने के लिये कहा। प्रतिवादीगण अपने हिस्से व कब्जे के अनुसार सरस नरस तरीके से तकास्मा करवाने के लिये हमेशा तैयार रहे है। ऐसी सूरत में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अधिकारी नहीं है। वाद पत्र का पैरा नंबर 5 कतई गलत है स्वीकार है तथा कतई एवं मनगढन्त व बेबुनियादी तथ्यों पर तहरीर किया है प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण को उनके हिस्से की भूमि व कब्जे की भूमि से कभी भी बेदखल नहीं किया तथा ना ही किसी भी प्रकार की कोई अपूर्तिनिय क्षति वादीगण को कारित होगी। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण से कोई झगडा ही नहीं किया तो मुकदमे बाजी छिडने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वाद पत्र का जिम्मन नंबर 6,7,8 कानूनी है। वाद पत्र में चाही गयी इस्तदुआ दादरसी क में संयुक्त खातेदारी भूमि होना स्वीकार है एवं प्रतिवादीगण का कब्जे अनुसार एवं हिस्से अनुसार सरस नरस तरीके से तकास्मा किया जाना सही है। वाद पत्र में चाही गयी इस्तदुआ दादरसी व गलत स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण भूमि वादग्रस्त का कोई बेचान व हस्तान्तरण नहीं कर रहे है और ना ही किसी प्रकार का खाम व पुख्ता निर्माण कर रहे है तथा ना ही वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ही कर रहे है। प्रतिवादीगण अपने बजमाने बुजुर्गान समय से चली आ रही कब्जेशुदा एवं हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है और कब्जेशुदा एवं हिस्से अनुसार सरस नरस तरीके से तकास्मा करवाने के लिये तैयार सदैव रहे है। वादपत्र में चाही गयी इस्तदुआ दादरसी ग, घ कानूनी है। प्रतिवादीगण का तकास्मा सरस नरस तरीके से एवं कब्जे अनुसार एवं खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार करवाने के लिये प्रतिवादीगण सदैव तत्पर रहे है और आज भी तैयार है। प्रतिवादीगण बजमाने बुजुर्गान के समय से खसरा नंबरान 3534 लगायत 3542, 3549, 3550 में प्रतिवादीगण का बजमाने बुजुर्गान के समय से हिस्से अनुसार व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कब्जा चला आ रहा है। एवं प्रतिवादीगण का खसरा नंबर 3553 रकबा 1.14

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर में से रिकॉर्ड राजस्व के अनुसार प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार तकास्मा कर दिया जावे और खसरा नंबर 3553 में से प्रतिवादीगण को शेष बची हुयी भूमि दे दी जावें। इस आधार पर प्रतिवादीगण तकास्मा करवाने के लिये सदैव तत्पर है। प्रतिवादी नंबर 22 गिर्राज पुत्र श्योनाथ रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार उपरोक्त वर्णित जमाबंदी में है ही नहीं उसके बावजूद भी वादीगण ने बिना किसी संबंध व सरोकार के प्रतिवादीगण बना रखा है जिसका खातेदारी भूमि से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादीगण नंबर 2 प्रहलाद कुमार पुत्र बिदडा है उसको वादीगण ने बिना किसी हक व औचित्य के प्रतिवादी नंबर 8 बना रखा है जो गलत बना रखा है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादीगण नंबर 2, 4, 7, 11, 15, 18, 22 की ओर से जबाब दावा पेश किया है कि जिम्मन नंबर 1 व 2 स्वीकार है जिम्मन नंबर 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत है क्योकि कभी भी प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति नहीं आयी है और न ही रहन, बय, करने के लिए कभी आमादा हुये और ना ही किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण कर रहे है। प्रतिवादीगण अपने कब्जे अनुसार बजमाने बुजुर्गान स्वयं से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं कब्जे के अनुसार एवं हिस्सेनुसार, रास्ते का ध्यान रखते हुये खसरा नंबर 3542 लगायत 3552 तक रास्ता दर्शित करते हुये तकास्मा करवाने को तैयार है। वाद पत्र का पैरा नंबर 4 जिस तरह से तहरीर किया गया है जो गलत है, अस्वीकार है, सभी तथ्य मनगढन्त बनावटी तरीके से तहरीर किये गये है। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण को फसल बोने से नहीं रोका और ना ही वादीगण के हिस्से में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई मजाहमत पैदा करी और ना ही वादीगण के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी की और ना ही कभी प्रतिवादीगण से झगडा किया न ही दीगर सख्स को बेचान को कहा। प्रतिवादीगण अपने हिस्से व कब्जे अनुसार सरस नरस तरीके से तकास्मा करवाने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसी सूरत में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। वाद पत्र का पैरा नंबर 5 कतई गलत है अस्वीकार है कतई गलत एवं मनगढन्त व बेबुनियाद तथ्यों पर तहरीर किया है। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं किया तथा ना ही किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति कारित की है। वाद पत्र का पैरा नंबर 6 कानूनी है जबाब का मोहताज नहीं है। वाद पत्र का पैरा नं. 7, 8 कानूनी है। वाद पत्र में चाही गयी दादरसी इस्तदुआ दादरसी संयुक्त खातेदारी की भूमि होना स्वीकार है एवं प्रतिवादीगण का कब्जे अनुसार समस्त खसरा नंबर में आवागमन के रास्ते कायम करते हुये तकास्मा किया जाना सही है। वाद पत्र का पैरा नंबर ख में चाही गयी इस्तदुआ दादरसी गलत है स्वीकार नहीं है। वादपत्र का पैरा नंबर ग , घ कानूनी है। प्रतिवादीगण का तकास्मा सरस नरस अनुसार एवं कब्जे काश्त अनुसार खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादी तकास्मा करवाने को तैयार है। परंतु वादी ने अपने दावे के जो खसरा नंबर कब्जे के बताये है वो खसरा नंबर सभी खातेदारी की शामलाती भूमि है और सभी काश्तकार खातेदारों ने मन समाई से चाही व बारानी भूमि को बॉट रखी है और आज दिन भी पूर्व में बॅटवारानुसार सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है एवं सभी खातेदार अपनी भूमि बंटवारानुसार भूमि पर आवागमन करने

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

कब्जे काश्त एवं खेती पर साधन या वाहन ले जाने के लिए रास्ता शामलाती भूमि में से रखा जावें जिससे किसी भी खातेदार को अपनी भूमि में जाने के लिए रास्ता बाबत बाधा उत्पन्न नहीं हो और किसी भी किस्म का वाद विवाद उत्पन्न न हो। खसरा नंबर 3534, 3536 लगायत 3539,3543,3549 पर प्रतिवादीगण की काबिज काश्त है शेष भूमि 1/2 है। शेष बची भूमि 3553 में से दी जावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक लगायत 22 जो जहाँ पर काबिज हो जिसने काबिज भूमि पर मकानात व रिहायश बनी हो उसी के हिस्से में रखी जावे एवं उसी अनुसार तकास्मा किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 22 गिर्राज दत्तक पुत्र श्योनाथ, श्योनाथ पुत्र नन्दा के गोद चला गया और गोद चले जाने के उपरान्त, गिर्राज के पिता, बिरदीचंद उर्फ बिरदा, जिससे प्रतिवादीगण नंबर 22 उत्पन्न हुआ था जो गिर्राज का जायज पिता था उसकी मृत्यु हो गयी जिसके उपरांत गिर्राज का सगा भाई प्रहलाद पुत्र बिरदीचंद उर्फ बिरदा, महेश, सुरेश व बिरदीचंद की पत्नि धापा देवी के नाम बिरदीचंद के फौत के बाद विरासत का नामान्तकरण खुल गया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 22 श्योनाथ के गोद चले जाने से उसकी विरासत का नामान्तकरण नहीं खुला न ही खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड नहीं आया। प्रतिवादी संख्या धापा पत्नि बिरदीचंद, प्रेमदेवी पुत्री बिरदीचंद, भगोती पुत्री बिरदीचंद, महेश पुत्र बिरदीचंद,सुरेश पुत्र बिरदीचंद, व वादी संख्या 2 के पिता का नाम भी सारे दस्तावेज में बिरदीचंद है जैसे मूलनिवास, शिक्षा के कागजात, आधार कार्ड आदि में बिरदीचंद है और रेवन्यू रिकॉर्ड में बिदडा की जगह ही बिरदीचन्द किया जावें।

वकील उभयपक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि का विधिवत सरस नरस तकास्मा करवाने बाबत निवेदन करने पर वादीगण वाद प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 1824 दिनांकः 05.05.2025 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया। जिस पर वादी भगवानसहाय द्वारा जर्ये वकील श्री सम्पतराम जांगिड के कुरैजात व नक्शा बाबत एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 10, 14, 15, 22 की ओर से एड. श्री हंसराज जांगिड द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात दिनांक 07.07.2025 एवं प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रार्थना पत्र एतराज कुरैजात पेश किया गया। वादीगण द्वारा अपने आपत्ति कुर्रेजात में अंकन किया कि हल्का पटवारी द्वारा बनाये गये व तहसीलदार बांदीकुई द्वारा बनाये गये कुर्रेजात व नक्शा बाबत एतराज प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि तहसीलदार बांदीकुई भू–अभिलेख व हल्का पटवारी द्वारा वादीगण को कुर्रेजात बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया और ना ही मौके पर बुलाया। तहसीलदार बांदीकुई व भू अभिलेख व हल्का पटवारी द्वारा अपनी मनमर्जी से उक्त भूमि का बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तकास्मे के नियमों का पालन नहीं किया गया और अपनी मनमर्जी से कुर्रेजात व नक्शा मौका बना दिया तथा बंटवारा भी वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सरस–नरस के हिसाब से नहीं किया गया न दोनो पक्षो के रास्ते का ही ध्यान रखा तथा जो रास्ता बनाया गया वह कतई मौके के विपरीत तथा भूमि काश्त को जो उपजाउ भूमि है को दक्षिण व पूर्व दिशा की और रास्ता बनाया गया जो कतई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

मौके के विपरीत है। प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में कुर्रेजात में भूमि का बंटवारा सरस–नरस के हिसाब से मौके पर काबिज कब्जा अनुसार नहीं करना बताया। और खसरा नंबर 3549, 3550 कुल रकबा 69 एयर सामलाती रख दी गयी। जिसका तहसीलदार ने किसी प्रकार का कोई यह हवाला नहीं दिया कि वे भूमि वादीगण या प्रतिवादी के कब्जे में है या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के कब्जे में है एवं उक्त कुर्रेजात तैयार करते समय तहसीलदार महोदय ने रास्ता जो कायम किया है वह भूमि रास्ते की कुरैजात में रास्ता जो कायम किया है वह भूमि रास्ते की कुर्रेजात में 3552/2 से लेकर 3549 तक रास्ता कायम किया है जो रास्ते की दूरी बहुत लम्बी कर दी गयी है। जबकि रास्ते में कम से कम भूमि का उपयोग किया जाना चाहिये। जहॉ से सभी पक्षकारान को सुविधा अनुसार रास्ता उपलब्ध हो सके इस प्रकार से रास्ता कायम नहीं किया गया है तथा 3552/2 से दूसरे भाग को खसरा नंबरान 3536, 3540, 3534, 3537, 3539 में जाने के लिये कोई रास्ता तैयार किये गये कुर्रेजात में नहीं दर्शाया गया है। इसलिये उकत कुर्रेजात को निरस्त फरमाते हुये तहसीलदार को पुनः कुर्रेजात तैयार करने के आदेश फरमाया जाना आवश्यक है।

उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र उभयपक्ष वकील बहस सुनी। वकील उभयपक्ष पर बहस करने एवं कुर्रेजात , आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरांत न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार बांदीकुई के पत्र कमांक 1824 दिनांक 05.05.2025 द्वारा प्राप्त कुर्रेजात खारिज किये जाकर तहसीलदार बांदीकुई को प्रकरण में दिनांक 24.01.2025 को जारी प्राथमिक डिकी की पूर्ण पालना कर प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में मौके पर उपस्थित होकर पुनः कुर्रेजात विभांजन पत्र न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 4051 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रेषित किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21 की ओर से एड. श्री अनिल शर्मा ने कुरैजात स्वीकार करने बाबत सहमति प्रदान की गयी एवं वादी भगवान सहाय की ओर से एवं प्रतिवादी महेश कुमार शर्मा द्वारा पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि उनवानी प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा कुर्रेजात तैयार करके रिपोर्ट पेश की है कुर्रेजात मौका के विपरीत बनाये गये है कुर्रेजात में वादी/प्रतिवादी को बिना सूचित किये कुर्रेजात बनाये गये है पहले से पेश कुर्रेजात के अनुसार ही पुनः कुर्रेजात बनाये गये है। कुर्रेजात पर न तो पक्षकारों के हस्ताक्षर है न ही पटवारी हल्का मौके पर ही नहीं गया। बल्कि कुर्रेजात में रास्ते का सही तरीके से दर्शित नहीं किया गया है। न ही सरस नरस के अनुसार पक्षकारों को भूमि का विभाजन नहीं किया गया। प्रभाती लाल रामकरण ,जगन्नाथ, गणपत, बनवारी लाल आदि के कहे अनुसार कुर्रेजात मौका के विपरीत बनाये गये है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात पेश कर पुनः मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार कुर्रेजात बनाये जाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। प्रतिवादीगण वकील श्री

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

गिर्राज प्रसाद सैन ने दौराने बहस कहा कि तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 4051 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा कुर्रेजात सरस–नरस अनुसार वास्तविक स्थिति अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में बनाये गये है कुर्रेजात स्वीकार है। वादी भगवान सहाय की ओर से एवं प्रतिवादी महेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात प्रकरण में अनावश्यक विलंब करने से पेश किया गये है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज करने बाबत निवेदन किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया। कुर्रेजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाये गये हैं। तथा यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात पेश किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

प्रस्तावित कुरैजात				
कम सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1.	अन्तर पत्नि रामेश्वर हि. 1/5 भगवानसहाय पुत्र छोटेलाल हि. 1/5 राहिन हि. 1/5 (पूर्ण खाता) एसबीआई बैंक रेवडमल सरोज पि. महादेवा हि. 1/5 श्योनाथ पुत्र नंदा हि. 1/5 प्रेम देवी प्रहलाद कुमार भगौती महेश कुमार सुरेश कुमार पि. बिदडा धापा पत्नि बिदडा हि. 1/5 सब जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	3543/03 3543/01 3551/02 3553/03 3552/02	0.76 0.01 0.51 0.65 0.48	चाही ए चाही ए बारानी ए बारानी ए बारानी ए
		किता 5	2.41	

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

2	गीता ,नवलकिशोर, बनवारीलाल, संतोष, मुरारीलाल, सावत्री, हरिमोहन हि. 1/5 गणपत, प्रभातीलाल रामकरण पि. जगन्नाथ हि. 3/5 मथुरेश बिहारी पुत्र देवनारायण हि. 1/5 राहिन हि. 1/5 (पूर्ण खाता) केनरा बैंक शाखा बांदीकुई	3534	0.14	चाही ए
		3535	0.05	चाही ए
		3536	0.10	चाही ए
		3537	0.12	चाही ए
		3539	0.25	चाही ए
		3540	0.24	चाही ए
		3541	0.05	चाही ए
		3542/02	0.36	चाही ए
		3549	0.45	बारानी ए
		3550	0.24	बारानी ए
		3553/02	0.41	बारानी ए
		किता 11	2.41	
3	शामलाती खाता संख्या 369 के अनुसार	3538	0.04	गै.मु. रास्ता
		3542/01	0.03	
		3543/02	0.04	गै.मु. रास्ता
		3551/01	0.03	गै.मु. रास्ता
		3552/01	0.02	
		3553/01	0.08	गै.मु. रास्ता
		किता 6	0.24	

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

कुरेजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जयें स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 30.07.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

30/7/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)